

किसान वरिध

यह एडिटरियल द हद्वि में प्रकाशित "It's a no green signal from the farm world" लेख पर आधारित है। यह संसद में कृषि विपणन सुधारों से संबंधित तीन विधियों के संबंध में किसानों के वरिध के बारे में विश्लेषण करता है।

संदर्भ

हाल ही में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा तीन कृषि विधियों के विरुद्ध वरिध प्रदर्शन किया गया है, जो जून 2020 में जारी किये गए अध्यादेशों को बदलना चाहते हैं। ये विधायक कृषि वस्तुओं के व्यापार, मूल्य आश्वासन, अनुबंध सहित कृषि सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के लिये स्टॉक सीमा में कृषि अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख पहलुओं में बदलाव लाने की परकिलपना करते हैं। इन विधियों में कृषि विपणन प्रणाली में बहुत आवश्यक सुधार लाने की मांग की गई है जैसे कृषि उपज के नज्जि स्टॉक पर प्रतर्बिध को हटाना या बचौलियों से मुक्त व्यापारिक क्षेत्र बनाना। हालाँकि किसान आशंकित हैं कि इन विधियों द्वारा समर्थित मुक्त बाज़ार की अवधारणा न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) प्रणाली को कमज़ोर कर सकती है और किसानों को बाज़ार की शक्तियों के प्रतर्बिधनशील बना सकती है।

तीन कृषि विधायक जो वविदति हैं:

- किसान उपज व्यापार एवं वाणजिय (संवरद्धन और सुवधि) विधायक, 2020।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधायक, 2020।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधायक, 2020।

विधायकों के उद्देश्य

- इन विधायकों का उद्देश्य कृषि उपज बाज़ार समितियों (Agricultural Produce Market Committees- APMC) की सीमाओं से बाहर बचौलियों और सरकारी करों से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर कृषि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप को दूर करना है।
 - यह किसानों को बचौलियों के माध्यम से और अनविर्य शुल्क जैसे लेवी का भुगतान किये बिना इन नए क्षेत्रों में सीधे अपनी उपज बेचने का विकल्प देगा।
- ये विधायक अंतरराज्यीय व्यापार पर स्टॉक होल्डिंग सीमा के साथ-साथ प्रतर्बिधों को हटाने और अनुबंध खेती के लिये एक ढाँचा बनाने की मांग करते हैं।
- साथ ही ये विधायक बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations- FPO) के निर्माण को बढ़ावा देते हैं और अनुबंध खेती के लिये एक किसान अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करेंगे जहाँ छोटे किसान भी लाभ उठा सकते हैं।
- ये विधायक नज्जि क्षेत्र को भंडारण, ग्रेडिंग और अन्य मार्केटिंग बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में सक्षम कर सकते हैं।
- इन विधायकों के संयुक्त प्रभाव से कृषि उपज के लिये 'वन नेशन, वन मार्केट' बनाने में मदद मिलेगी।

किसानों और वपिक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे

- **संघीय दृष्टिकोण:** किसान उपज व्यापार एवं वाणजिय (संवरद्धन और सुवधि) विधायक, 2020 APMC क्षेत्राधिकार के बाहर नामति व्यापार क्षेत्रों में अप्रभावति वाणजिय के लिये प्रावधान करता है।
 - इसके अलावा यह विधायक केंद्र सरकार को इस कानून के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्यों को आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
 - हालाँकि व्यापार और कृषि के मामलों को राज्य सूची के विधियों का हस्सिा होने के कारण राज्यों में नाराज़गी है।
- **परामर्श की कमी:** पहले अध्यादेश मार्ग और अब उचित परामर्श के बिना विधायकों को पारति करने का जल्दबाजी का प्रयास किसानों सहित विभिन्न हतिधारकों के बीच अवशिवास पैदा करता है।
 - इसके अलावा APMC क्षेत्र के बाहर व्यापार क्षेत्रों को अनुमति देने से किसान आशंकित हो गए हैं कि नई प्रणाली से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली अंततः बाहर निकल जाएगी।
- **गैर-APMC मंडलियों में किसी भी वनियमन की अनुपस्थिति:** किसानों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि प्रस्तावित विधायक किसानों के

हत्तियों की कीमत पर कॉर्पोरेट हत्तियों को वरीयता देते हैं।

- गैर-APMC मंडलियों में किसी भी वनियमन के अभाव में किसानों को कॉर्पोरेट्स से नपिटना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे पूरी तरह से लाभ की मांग के उद्देश्य से काम करते हैं।

- **गैर-अनुकूल बाज़ार की स्थिति:** खुदरा मूल्य दर उच्च बनी हुई है जबकि थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) के आंकड़ों से अधिकांश कृषि उपज के लिये फार्म गेट की कीमतों में गिरावट का संकेत मलित है।
 - बढ़ती इनपुट लागत के साथ किसानों को मुक्त बाज़ार आधारित ढाँचा उपलब्ध नहीं है जो उन्हें पारशिरमकि मूल्य प्रदान करता है।
 - इन आशंकाओं से बहिर जैसे राज्यों के अनुभव को बल मलित है, जसिने वर्ष 2006 में APMC को समाप्त कर दिया था। मंडलियों के उन्मूलन के बाद बहिर में अधिकांश फसलों के लिये किसानों को MSP की तुलना में औसतन कम कीमत प्राप्त हुई।

आगे की राह

- **प्रतसिपर्द्धा को मज़बूत करने के लिये कृषि अवसंरचना में सुधार:** सरकार को बड़े पैमाने पर APMC बाज़ार प्रणाली के वसितार के लिये फंड देना चाहिये, व्यापार कार्टेल को हटाने के लिये प्रयास करना चाहिये और किसानों को अच्छी सड़कें, पैमाने की रसद और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
- **राज्य किसान आयोगों को सशक्त बनाना:** भारी केंद्रीकरण का वरीध करने के बजाय राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसति राज्य किसान आयोगों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिये ताकि मुद्दों पर सरकार की तीव्र प्रतिक्रिया आए।
- **सर्वसममता बनाना:** केंद्र को किसानों सहति वधियकों का वरीध करने वालों तक पहुँचना चाहिये उन्हें सुधार की आवश्यकता समझानी चाहिये और उन्हें बोरुड पर लाना चाहिये।

नषिकर्ष

मज़बूत संस्थागत व्यवस्था के बनिा मुक्त बाज़ार से लाखों असंगठति छोटे किसानों को लाखों का नुकसान हो सकता है, जो उल्लेखनीय रूप से उत्पादक हैं और जनिहोंने महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।



मुख्य परीक्षा प्रश्न : "भारतीय कृषि में लेसेज फेयर नीतिको समाप्त करने से पहले मज़बूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है"। चर्चा करें।